राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग,

क्रमांक प.5(52)वित्त/कर/10 जयपुर, दिनांक 19.10.10

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

विषयः राज्य सरकार की कतिपय अधिसूचनाओं पर मार्गदर्शन के संबंध में।

सन्दर्भः आपका पत्रांक एफ.7(64)जन/10/14897 दि0 13.9.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में राज्य सरकार की निम्नलिखित तीन अधिसूचनाओं पर मार्गदर्शन इस प्रकार प्रेषित है :-

(i) अधिसूचना क्रमांक प.2(26)वित्त/कर/98-124 दिनांक 3.2.07

यह अधिसूचना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी या इस अधिनियम के तहत निर्मित नियमों यथा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 आदि के तहत कृषि से अकृषि प्रयोजनों (आवासीय, वाणिज्यिक, पर्यटन, उद्योग आदि) के लिए संपरिवर्तित भूमि के दस्तावेजों पर लागू होगी।

(ii) अधिसूचना क्रमांक प.12(15)वित्त/कर/08-97 दिनांक 25.2.08

यह अधिसूचना केवल स्थानीय निकायों यथा जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, मण्डी समिति आदि के सीमाक्षेत्र में स्थित अकृषि भूमि (कृषि से भिन्न) के अन्य भू-उपयोग परिवर्तन के मामलों में लागू होगी। उदाहरणार्थ- आवासीय से वाणिज्यिक, वाणिज्यिक से आवासीय, वाणिज्यिक से औद्योगिक या औद्योगिक से वाणिज्यिक प्रयोजन आदि के लिए भू-उपयोग परिवर्तन।

(iii) अधिसूचना क्रमांक प.2(26)वित्त/कर/98 पार्ट -34 दिनांक 28.7.08

यह अधिसूचना टाऊनशिप पॉलिसी 2007 के तहत जारी पट्टों पर लागू होती है।

भवदीय,
ह0/-
(भवानी सिंह देथा)
उप शासन सचिव

F7-64-G

राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज., "कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(64)जन/10/ 20818-021198 दिनांकः 28.10.10

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक प.5(52)एफ.डी./टैक्स/10 दिनांक 19.10.10 की प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर स्पष्ट किया जाता है कि रुपान्तरण शुल्क की छूट की राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के क्रम में स्थानीय निकायों द्वारा रिसोर्ट, होटल उद्योग के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–बी के तहत शून्य प्रतिफल पर रुपान्तरण का पट्टा जारी करने की स्थिति में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.2(26)वित्त/कर/98–124 दिनांक 3.2.07 के अन्तर्गत रुपान्तरण शुल्क की गणना के लिए उक्त क्षेत्र की तत्प्रयोजनार्थ निर्धारित रुपान्तरण शुल्क दरों को आधार बनाया जाकर मालियत गणना कर मुद्रांक शुल्क वसूल किया जावेः–

1. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
2. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
3. समस्त उप पंजीयक, राजस्थान।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-64-G